न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2021/ 1504 दिनांक 12/11/2021

प्रार्थीगण :-
1.समझूदेवी पत्नि चतराराम 2.जेठाराम पुत्र चतराराम 3.धर्माराम 4.लूणाराम पि.सेडानराम जाति मेघवाल, निवासी अली की बस्ती (बूठ राठौड़ान), तहसील चौहटन

विप्रार्थीगण:-
1.चिमाराम पुत्र पूनमाराम, जाति भील 2.मोहम्मद खां 3.जामा खां पि.मियल खां 4.फता पत्नि मोहम्मद जाति मुसलमान, 5.मगाराम पुत्र रामाराम जाति मेघवाल 6.ईस्लाम 7.दीनू पि.होता खां 8.धनी पत्नि होता खां, जाति मुसलमान 9.निम्बाराम 10.सत्यपाल 11.हेमन्त कुमार पि.चेनाराम, जाति जाट 12.आलम पुत्र एहसान, जाति मुसलमान निवासी अली की बस्ती (बूठ राठौड़ान) तहसील चौहटन, 13.तहसीलदार चौहटन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम
वास्ते करने नेखमबंदी बाबत।

राजस्व आवेदन सं. 65/2020 दिनांक : **12.11.2021**

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र बूठ राठोड़ान के मौजा अली की बस्ती के खेत खसरा सं. 743/321 रकबा 23.06 बीघा, खसरा सं. 1079/321 रकबा 23.07 बीघा, खसरा सं. 1078/321 रकबा 23.07 बीघा, कुल रकबा 70.00 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है| उक्त विवादित भूमी की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू उपरोक्त भूमी की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे|

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों| आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है | प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे|

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

(भागीरथ राम II)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

क्रमांक/भू.अ./2021/ 1505 to 1508 दिनांक 12/11/2021

प्रतिलिपि :-
1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थीगण समझू वगैरा
3. विप्रार्थीगण चिमाराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धोरीमन्ना

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2021.12.27 16:45:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी चौहटन